

राजस्थान सरकार  
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प 5 (12-अ)/आ.कृ./कृ.सू. /प्र.अ./प्रदर्शनी/2022-23/1062-1107

दिनांक 16/6/2022


उप निदेशक कृषि (विस्तार),  
जिला परिषद समस्त .....

विषय :- कृषि बजट 2022-23 में विभागीय योजनाओं तथा कृषि की उन्नत तकनीक के प्रचार-प्रसार हेतु बजट प्रावधान के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा "समृद्ध किसान - खुशहाल राजस्थान" की सोच के साथ वर्ष 2022-23 में प्रदेश का प्रथम कृषि बजट पेश किया गया है, जिनमें कृषि, उद्यान, कृषि विपणन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जल संसाधन, ऊर्जा, सहकारिता, पशु पालन एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभागों की गतिविधियों को शामिल किया गया है। बजट घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जन-जन तक प्रचार प्रसार के उद्देश्य से जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना है।

उक्त आयोजनों एवं विभागीय योजनाओं तथा कृषि की उन्नत तकनीक के खरीफ व रबी मौसम में प्रचार-प्रसार हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य निधि के बजट मद 2401-00-109-(02)-[00]-11 में से प्रत्येक उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद कार्यालय को राशि रु0 50 हजार तक व्यय करने का प्रावधान किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार बजट मद में प्रावधानुसार राशि को ध्यान में रखते हुए व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।


  
16.6.22  
(काना राम)  
आयुक्त कृषि

क्रमांक: प 5 (12-अ)/आ.कृ./कृ.सू. /प्र.अ./प्रदर्शनी/2022-23/1062-1107

दिनांक 16/6/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार) कृषि आयुक्तालय, राज0 जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक कृषि (योजना) कृषि आयुक्तालय, राज0 जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड समस्त।
4. एसीपी, (उप निदेशक) मुख्यालय को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
5. आरक्षी पंजिका।

  
उप निदेशक कृषि (सूचना)

IA  
22